I-7590 (86)

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 247359

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 25,75,000/- रूपये।

स्टाम्प अंकन 2,06,000/- रूपये।

विवरण विक्रय सम्पत्तिः- कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 के अनुसार चक संख्या 148 के मूल गाटा संख्या 235मि0 व प्रस्तावित गाटा संख्या 202मि0 व 203मि0 व 146मि0 जिसका नया नम्बर आकार पत्र 45 के अनुसार खाता नं0 347 के खेत नं0 163 रकबई 0.114 हैक्टेयर व खेत नं0 282 रकबई 0.316 हैक्टेयर कुल दो खेत रकबई 0.430 हैक्टेयर सम्पूर्ण को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

स्टाम्प नं० .... में शामिल किया गया
सब रजिस्ट्रार

बैनामा 2575000 फीस रजि० 5000

उजरत 20 योग 5020/5 शब्द लगभग 600

श्री महेन्द्र

पुत्र श्री फूला पेशा खेती

निवासी चमरावली रामगढ़ दादरी

ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 17/5/07 समय मध्य 4 व 30 बजे प्रस्तुत किया।

महेन्द्र

सब रजिस्ट्रार दादरी
17/5/07

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे मालियत/प्रतिफल मु० 2575000/- रु० में से जिसमें से ...... नगद मैंने समक्ष पाकर उक्त श्री महेन्द्र व हरज्ञान चरन सिंह व सुखपाल पुत्रगण श्री फूला व श्रीमती महाकोर W/o श्री फूला R/o चमरावली रामगढ़ दादरी भूमि रजि असल रेव ... से श्री हरिओम S/o श्री ओमप्रकाश R/o ... दादरी ने स्वीकार किया।

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000 रुपये

SHARMA, NOTARY DADRI-NOIDA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 2 247360

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 16,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा बय पंजीकृत नहीं हुआ है।

स्टाम्प नं0 21 रू0 22 से...
स्टाम्प नं0 23 में शामिल किया गया

... श्री [illegible]

पुत्र श्री रामी पेशा खेती

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible] पेशा खेती

निवासी [illegible]

ने की

उप रजिस्ट्रार दासी
1/5/07

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

Attested

C. SHARMA, NOTARY

3

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

247361

हम कि महेन्द्र व हरज्ञान व चरन सिंह व सुखपाल पुत्रगण स्व0 श्री फूला व श्रीमती महाकौर पत्नी स्व0 श्री फूला जाति जाटव निवासीगण ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जनपद- गौतमबुद्धनगर। (विक्रेता, फरीक अव्वल)।

एवम्

हरिओम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

महेन्द्र

नि0 हरज्ञान

नि0 चरन सिंह

नि0 अंगूठा सुखपाल

नि0 श्रीमती महाकौर

हरिओम

स्टाम्प नं0 ...42... रु0 ...225 मात्र...........
स्टाम्प नं0 ...23... में शामिल किया गया
स्टा लेखक

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

N. C. SHARMA, NOTARY
DADRI NOIDA
DISTT. G. B. NAGAR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH **4** 247362

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 के अनुसार चक संख्या 148 के मूल गाटा संख्या 235मि0 व प्रस्तावित गाटा संख्या 202मि0 व 203मि0 व 146मि0 जिसका नया नम्बर आकार पत्र 45 के अनुसार खाता नं0 347 के खेत नं0 163 रकबई 0.114 हैक्टेयर व खेत नं0 282 रकबई 0.316 हैक्टेयर कुल दो खेत रकबई 0.430 हैक्टेयर सम्पूर्ण को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबे, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन

स्टाम्प नं0 ...2...में शामिल किया गया

स्था. रोकड़िया

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

Self Attested

5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

247363

नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 25,75,000/- (पच्चीस लाख पिचहेत्तर हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 12,87,500/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई बय कर दी तथा समस्त विक्रीलधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को

स्टाम्प नं0 .... रू0 .... मात्र ....!
स्टाम्प नं0 .... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

6

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 247364

अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक

स्तम्भ सं0 .... क्र0 .... नाम ....
स्तम्भ सं0 23 .... में शामिल किया गया
उप पीठासीन

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

7

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 247365

दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल

स्टाम्प नं0 22 रू0 2... पत्र
स्टाम्प नं0 23 में शामिल किया गया
उप कोषाधि

8

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 247366

खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

स्टाम्प नं0 ...20... रु0 ...25... का ....

स्टाम्प नं0 ...23... में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 109964

9

विवरण धन अदायगी :- 25,750.00/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है। खेत का फोटो सलंग्न है।

क्रम सं० 22 स्टाम्प विक्रय की तिथि 12/5/07
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008
कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड ... (उ०प्र०)
विक्रय सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 902738

10

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

गवाह - 1

गवाह - 2

तारीख 17-05-2007ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल**, बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0-1**

बैनामा लेखक
तहसील-दादरी
गौतमबुद्धनगर

क्रम सं० 73/72 स्टाम्प बिक्री की तिथि 12/5/07
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता हरिश्चन्द्र 3...
स्टाम्प की धनराशि 15000

अवधेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 9 अवधि 31-3-2010
तहसील कम्पाउण्ड बादरी
विक्रय सीमा 15000/-

आज दिनांक 17/5/07 की फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 671
के पृष्ठ 101/120 पर क्रम संख्या 7590
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
बादरी